दी वा स 252/10 सी आई एस 103/14
नवरतन रतनलाल बनाम अनिल आर मित्तल

18.01.2020

वकील वादी श्री एस के सक्सैना उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री जी के अग्रवाल उपस्थित ।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम दिनाक 20.07.2019 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) दी प्र स दिनांक 19.10.19 पर बहस सुनी गई।

वादी ने धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रार्थना पत्र के द्वारा पैरा सं 1 में वर्णित सभी दस्तावेजों को फोटो प्रतियां बताते हुए जिनकी असल वादी के पास नहीं होना बताते हुए द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति चाही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं 2 में वर्णित फर्द दस्तावेज दिनांक 24.09.2013 के तहत प्रस्तुत असल दस्तावेज को छोड़कर प्रमाणित प्रतिलिपियां बताते हुए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमति चाही है । प्रार्थना पत्र में पैरा सं 3 में वर्णित फर्द दस्तावेज दिंनाकित 21.04.2018 के जरिये सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमति चाही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं 4 में वर्णित फर्द दस्तावेज दिनांकित 02.03.2019 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियां वसीयत दिनांक 27.04.2003 व 03.10.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपियां बताते हुए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमाति चाही है । इन दस्तावेजों को प्रकरण के न्याय पूर्ण निस्तारण के लिये आवश्यक होना बताया । और अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

इस प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अभिलिखित किया कि जो दस्तावेज फोटो स्टेट प्रतियां है उनको द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ,वादी ने धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रार्थना पत्र द्वारा दस्तावेजों को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया है जबकि विधि अनुसार दस्तावेजों को रेकर्ड पर लेने का अलग से प्रावधान है और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) दी प्र स दिनांक 19.10.19 के जरिये प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया है व धारा 65 साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित दस्तावेजों को द्वितीय साक्ष्य में प्रदर्शित कराने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया । इस प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया उसमें अभिलिखित किया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में जिस तरह से तथ्य लिखे हैं वह तथ्य वास्तविक व पूर्ण नहीं हैं और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बल देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया । प्रतिवादी की ओर से बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बल देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया । वादी साक्ष्य की स्टेज पर साक्ष्य के दौरान वादी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए उसके साथ दस्तावेज भी संलग्न किये गये और उनके संबंध में द्वितीय साक्ष्य की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पूर्व से रेकर्ड पर नहीं होने पर तत्पश्चात् अधिवक्ता वादी की ओर से दस्तावेजों को

रेकर्ड पर लेने का उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) दी प्र स पेश किया गया । पत्रावली अभी साक्ष्य वादी में नियत है। वादी के दस्तावेजों को रेकर्ड पर नहीं लिया जाता है तो वादी अपना समुचित पक्ष नहीं रख पायेगा जबकि प्रतिवादी को जिरह का समुचित अवसर मिलेगा ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) दी प्र स स्वीकार किया जाता है।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वसीयत दिंनाकित 27.04.2003 व 03.10.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपियां है जिनको द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रमाणित प्रतिलिपियों की असल अपने पास नहीं होना बताया है उन्हें भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराने की अनुमति प्रदान की जाती है । जहां तक दस्तावेजों की फोटो प्रतियां को द्वितीय साक्ष्य में प्रदर्शित कराने का प्रश्न है को द्वितीय साक्ष्य में प्रदर्शित कराने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 15.02.2020 को पेश हो।